नाम ही नहीं, अब इनका काम भी बदला पटना, जागरण ब्यूरो : सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय तथा मुफस्सिल कार्यालयों वर्ग चार या के पदों पर काम करने वाले अनुसेवी, आदेशपाल, दफ्तरी, जमादार पिउन, जमादार अर्दली अब कार्यालय परिचारी यानी आफिस अटेंडेंट कहे जायेंगे। सरकार ने इनका पदनाम बदल दिया है। पदनाम में परिवर्तन के साथ काम का स्वरूप भी बदला है। सरकार अब इनसे फोटो कापी कराने, फैक्स कराने, कार्यालय एवं उसके उद्यानों की देखरेख का काम कराने, कार्यालय एवं उसके उपस्करों को साफ कराने सहित अन्य गैर लिपिकीय काम कराने पर विचार कर रही है। वे बेहतर तरीके से काम कर सकें इसके लिए व्यावहारिक एवं क्षमता विकास से संबंधित प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा। ट्रेनिंग की जिम्मेदारी प्रशासनिक सुधार मिशन को सौंपी गयी है। शुक्रवार 16 सितम्बर को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। नामकरण तत्काल प्रभावी होगा और भविष्य में फाइलों एवं पत्राचार में उपरोक्त पदों के लिए कार्यालय परिचारी शब्द का इस्तेमाल किया जायेगा। इस सूचना से विभागों, कार्यालयों, प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, आयोगों आदि को अवगत कराया जा रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिश के आलोक में केन्द्र सरकार ने समूह घ के कर्मियों को उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया है। ऐसे में बदलते परिवेश के अनुरूप उनकी कार्यकुशलता विकसित कर वर्तमान में तयशुदा काम के अतिरिक्त दूसरे काम के योग्य बनाने की जरूरत महसूस की गयी । केन्द्र के अनुरूप राज्य सरकार भी समूह घ के सभी 10 वीं पास कर्मियों को बढ़ा हुआ वेतन स्वीकृत किया है। इसी समूह के वैसे कर्मी जो 10 वीं पास नहीं हैं को भी प्रशिक्षण के बाद बढ़ा हुआ वेतनमान देने का निर्णय है।

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति